

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
कामिनी देवी उर्फ कामिनी कुमारी एवं अन्य

बनाम

भारत संघ

2021 की विविध अपील सं. 248

13 दिसंबर 2022

(माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रॉय)

विचार के लिए मुद्दा

क्या रेलवे दावा न्यायाधिकरण का यह निर्देश देना उचित था कि मृतक की विधवा और माता-पिता को दी गई मुआवज़ा राशि दावेदारों को तुरंत पूरी राशि जारी करने के बजाय, वार्षिकी योजनाओं और सावधि जमा के माध्यम से किश्तों में वितरित की जाए?

हेडनोट्स

विलंब क्षमा - आई.ए.स्वीकृत - उल्लिखित आधारों पर विचार करते हुए अपील दायर करने में 210 दिनों का विलंब क्षमा किया गया।

रेलवे दावा न्यायाधिकरण अधिनियम, 1987 - धारा 23 - रेलवे दावा न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील - अधिनिर्णित मुआवज़े का वितरण - वार्षिकी और सावधि जमा के माध्यम से भुगतान के निर्देशों की वैधता - अपीलीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का दायरा - निर्णय दिया गया कि, न्यायाधिकरण का मुआवज़ा आंशिक रूप से वार्षिकी योजनाओं के माध्यम से किश्तों में

जारी करने और शेष सावधि जमा में रखने का निर्देश उचित नहीं है, जहाँ इस तरह के प्रतिबंध से मृतक के आश्रितों को अनुचित कठिनाई होती है। मुआवज़े का उद्देश्य आश्रितों को तत्काल वित्तीय राहत प्रदान करना है, न कि तकनीकी कारणों से उसे रोकना।

मुआवज़ा - संवितरण का तरीका - वार्षिकी/सावधि जमा बनाम तत्काल भुगतान - जब मृतक की विधवा और माता-पिता ने आर्थिक तंगी के कारण मुआवज़े का तत्काल भुगतान माँगा, तो न्यायालय ने माना कि एक बार जब पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले (सी.आर. सं. 3730/2019, 08-04-2021 को निर्णीत) द्वारा मुआवज़े की पूरी राशि जारी करने की अनुमति दी गई, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय (एसएलपी(सी) सं. 20206-20221/2021, 04-01-2022 को खारिज) द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई, तो वही सिद्धांत लागू होता है। इसलिए, वार्षिकी के माध्यम से भुगतान को प्रतिबंधित करने वाले न्यायाधिकरण के निर्देश को संशोधित किया गया; मुआवज़ा तुरंत जारी करने का आदेश दिया गया।

पूर्व उदाहरण - बाध्यकारी प्रभाव - एक बार जब पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुआवज़े के तत्काल वितरण की अनुमति देने वाले फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा, तो इसका अनुपात बाध्यकारी है और अन्य उच्च न्यायालयों के समक्ष इसी तरह के मामलों में लागू होता है।

न्याय दृष्टान्त

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, दिनांक 08.04.2021, सी.आर. संख्या 3730/2019, एसएलपी(सी) संख्या 20206-20221/2021, (2019) एससीसी ऑनलाइन डेल 11279

अधिनियमों की सूची

भारत का संविधान

मुख्य शब्दों की सूची

विलंब की क्षमा; रेलवे दावा न्यायाधिकरण; मुआवज़ा; संवितरण; तत्काल भुगतान; वार्षिकी योजना; सावधि जमा; आश्रित; सर्वोच्च न्यायालय का अभिपुष्टि; पंचाट में संशोधन।

प्रकरण से उत्पन्न

ओए ॥ (यू) संख्या 77, 2018

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता/ओं की ओर से: श्री प्रवीण कुमार गुप्ता, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं/ओं की ओर से: श्री रामाधार शेखर, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: श्री रवि राज, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2021 की विविध अपील सं. 248

- =====
1. कामिनी देवी उर्फ कामिनी कुमारी, पति- स्वर्गीय अमित रंजन
 2. निरंजन राय, पिता- स्वर्गीय राम सागर राय
 3. रीना देवी, पति- निरंजन राय
 4. दिव्या रंजन, पिता- स्वर्गीय अमित रंजन, जो नाबालिग है और कामिनी देवी उर्फ कामिनी कुमारी के संरक्षण में है।

सभी निवासी गाँव-सम्सा, पोस्ट- सम्सा, थाना- नौकोठी, जिला-बेगुसराय हैं

... ..अपीलकर्ता/ओं

बनाम

भारत संघ, महाप्रबंधक, ई. सी. रेलवे, हाजीपुर के माध्यम से

... ..उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति :

अपीलकर्ता/ओं के लिए: श्री प्रवीण कुमार गुप्ता, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के अधिवक्ता: श्री रामाधार शेखर, अधिवक्ता

=====

समक्ष: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रॉय

मौखिक निर्णय

दिनांक: 13-12-2022

2021 का आई. ए. सं. 01

उपरोक्त आई. ए. को वर्तमान याचिका दायर करने में 210 दिनों की देरी को माफ करने के लिए दायर किया गया है।

अपील दायर करने में 2021 के आई. ए. सं. 01 में लिए गए आधार को देखते हुए, देरी को माफ किया जाता है।

2021 के आई. ए. सं. 01 की अनुमति है।

2021 का एम. ए. सं. 248

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।

2. यह अपील श्री मुकेश कुमार गुप्ता, उपाध्यक्ष (न्यायिक), आरसीटी/सिकंदराबाद, पटना पीठ द्वारा सर्किट बेंच में ओए ॥ (यू) सं. 77/2018 में पारित दिनांक 13.03.2020 के आदेश के विरुद्ध है, जिसके द्वारा भुगतान निम्नलिखित तरीके से किया गया है:

आदेशित

आवेदक का दावा आवेदन विरोध के आधार पर, किन्तु बिना किसी लागत के स्वीकार किया जाता है।

9) उत्तरदाता को आवेदक को 8,00,000/- रुपये (मात्र आठ लाख रुपये) का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

10) 8,00,000/- रुपये की राशि निम्नलिखित तरीके से दी जाएगी।

(i) आवेदक सं. 1 को 1,50,000/- रुपये (मात्र एक लाख पचास हजार रुपये) की राशि प्रदान की जाती है। उक्त राशि में से, आवेदक सं. 1 को 30,000/- रुपये (मात्र तीस हजार रुपये) की

राशि ईसीएस के माध्यम से उसके पक्ष में जारी की जाएगी और आवेदक की शेष राशि 1,20,000/- रुपये (मात्र एक लाख बीस हजार रुपये) 5000/-रुपये की 24 वार्षिकी योजनाओं में निवेश की जाएगी। संबंधित बैंक जहाँ यह राशि हस्तांतरित की जानी है, उसके निवास के पास स्थित होना चाहिए और प्रत्येक बैंक में 5000/- रुपये की राशि ईसीएस के माध्यम से मासिक आधार पर उसके बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। शेष राशि पर अर्जित होने वाला अंतिम ब्याज भी ऊपर बताए गए तरीके से ही दिया जाना चाहिए।

(ii) आवेदक सं. 2 और 3 को प्रत्येक को 75,000/- रुपये (केवल पचहत्तर हजार रुपये) दिए जाते हैं और उसे 5000/- रुपये की 15 वार्षिकी योजनाओं में निवेश किया जाएगा। संबंधित बैंक जहाँ यह राशि हस्तांतरित की जानी है,

उनके निवास के पास स्थित होना चाहिए और 5000/- रुपये की राशि ईसीएस के माध्यम से मासिक आधार पर उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। शेष राशि पर अर्जित होने वाला अंतिम ब्याज भी ऊपर बताए गए तरीके से ही दिया जाना चाहिए।

(iii) आवेदक संख्या 4 को 5,00,000/- रुपये (मात्र पाँच लाख रुपये) की राशि प्रदान की जाती है और इसे 5 वर्ष की अवधि के लिए या नाबालिग के वयस्क होने तक, जो भी बाद में हो, उसकी

माँ, आवेदक सं. 1 के संरक्षण में, सावधि जमा में रखा जाएगा। संबंधित बैंक जहाँ यह राशि जमा/स्थानांतरित की जानी है, उसके निवास के पास स्थित होना चाहिए और सावधि जमा पर अर्जित ब्याज का भुगतान आवेदक सं. 1 के पक्ष में उसके और आवेदक सं. 4 के भरण-पोषण के लिए किया जाएगा।

(iv) उत्तरदाता को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों के भीतर इस न्यायाधिकरण की रजिस्ट्री में राशि जमा करे, यदि भुगतान नहीं किया जाता है, तो उक्त अवधि के बाद उत्तरदाता द्वारा 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय होगा।

(v) आवेदकों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई अन्य उपयुक्त पहचान पत्र, आवेदकों के निवास स्थान के निकट बैंक खातों का विवरण, फोटोग्राफ और उनके नमूना हस्ताक्षर के दो सेट, बैंक पासबुक जिसमें यह पुष्टि हो कि खाताधारक को कोई चेक बुक/डेबिट कार्ड जारी नहीं किया गया है, से संबंधित विवरण और दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

(vi) संबंधित बैंक को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वह फॉर्म संख्या 15 जी/15 एच, जैसा भी मामला हो, स्वीकार करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो भी राशि कर योग्य हो, उसे

इसीएस के माध्यम से जारी करने से पहले संबंधित बैंक द्वारा उचित कदम उठाए जाएं।

(vii) मूल सावधि जमा राशि संबंधित बैंक द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाएगी। हालाँकि, एफडीआर संख्या, एफडीआर राशि, परिपक्वता तिथि और परिपक्वता राशि वाला विवरण बैंक द्वारा आवेदक को प्रस्तुत किया जाएगा।

(viii) न्यायाधिकरण की अनुमति के बिना सावधि जमा पर कोई ऋण, अग्रिम, निकासी या समयपूर्व निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ix) संबंधित बैंक आवेदकों को कोई चेक बुक और/या डेबिट कार्ड जारी नहीं करेगा। हालाँकि, यदि डेबिट कार्ड और/या चेक बुक पहले ही जारी कर दी गई है, तो बैंक पुरस्कार राशि के वितरण से पहले उसे रद्द कर देगा। बैंक आवेदक के डेबिट कार्ड को फ्रीज कर देगा ताकि आवेदक के खाते के संबंध में बैंक की किसी अन्य शाखा से कोई डेबिट कार्ड जारी न किया जा सके।

(x) बैंक उक्त राशि पर कोई शुल्क, बंधक या दृष्टिबंधक नहीं लगाएगा।

(xi) रेलवे और आवेदकों को उपरोक्त निर्देशों के अनुसार की गई कार्रवाई पर अनुपालन रिपोर्ट यथाशीघ्र प्रस्तुत करनी होगी और

यह रिपोर्ट इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत करनी होगी।

11. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं है”

3. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उन्हें अब तक दिए गए निर्देश से कोई समस्या नहीं है कि 5,00,000/- रुपये की राशि को पांच वर्ष की अवधि के लिए या नाबालिग के वयस्क होने तक उसकी माँ, अपीलकर्ता संख्या 1, के संरक्षण में सावधि जमा में रखा जाए।

4. हालाँकि, जहाँ तक अपीलकर्ता सं. 1, 2 और 3 के मामले में लगाई गई रोक का सवाल है, तो मृतक की पत्नी और माता-पिता को इस मामले में शामिल नहीं किया जा सकता। उनका तर्क है कि इस प्रकार दी गई राशि उन्हें किशतों में देने के बजाय पूरी तरह से दी जानी चाहिए क्योंकि कमाने वाले की मृत्यु के बाद उन्हें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उनका यह भी तर्क है कि आदेश पारित होने के बावजूद, उनके अनुसार, आज तक एक भी पैसा नहीं दिया गया है।

5. अपने मामले के समर्थन में, उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 08.04.2021 के सी.आर. सं. 3730/2019 के आदेश और समरूप मामलों का हवाला दिया है, जिनमें विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:

“अधिनियम की धारा 23 में प्रावधान है कि दावा न्यायाधिकरण के प्रत्येक आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकेगी, जो अंतरिम आदेश नहीं है, और जिसका अधिकार क्षेत्र उस स्थान पर है जहाँ पीठ स्थित है। वर्तमान पुनरीक्षण याचिका में, याचिकाकर्ता स्वयं

निर्णय को या उन्हें मुआवजा देने में उसकी अपर्याप्तता को चुनौती नहीं देते हैं। वर्तमान विवाद में जो बात है वह यह है कि न्यायाधिकरण ने मृतक के उत्तराधिकारियों, दावेदारों को तुरंत मुआवजा वितरित करने से इनकार कर दिया है। अधिनियम की धारा 23 के शब्दों में ही प्रावधान है कि अपील अंतिम आदेश के विरुद्ध होगी, न कि अंतरिम आदेश के विरुद्ध। दावा याचिकाओं का अंतिम रूप से निपटारा और न्यायनिर्णयन हो चुका है और यही शर्त है कि दावेदारों को तुरंत धन नहीं मिलेगा, जो याचिकाकर्ताओं के लिए पीड़ा का विषय है। इस तथ्य से अवगत होना आवश्यक है कि किसी मुकदमे में हर आदेश को तय नहीं माना जा सकता। चूंकि कार्यवाही पहले ही निर्णय पारित करने के साथ समाप्त हो चुकी है जिसे याचिकाकर्ताओं ने स्वीकार कर लिया है और अंतिम हो गया है, और यही वह शर्त है जिस पर निर्णय लिया जाना आवश्यक है। इसके अलावा, मुआवजा देने का मूल उद्देश्य और उद्देश्य आश्रितों की बेहतरी के लिए करुणा पर आधारित है और इसे इतनी सख्ती से नहीं समझा जा सकता कि मुआवजा देने का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाए। न्यायाधिकरण ने दावेदारों को मामूली मुआवजा देने की उदारता दिखाई है, जिसे न तो चुनौती दी गई है और न ही विवादित। आदेश का वह भाग जिसमें मुआवजे की राशि एफडीआर के माध्यम से देने की बात कही गई है, एक ऐसी शर्त है जिसका दावेदारों के भविष्य पर

गंभीर प्रभाव पड़ता है। कुछ दावेदार पहले से ही वरिष्ठ नागरिक हैं जबकि तत्कालीन नाबालिग वयस्क हो चुके हैं, जिन विधवाओं को अपने कमाने वालों के बिना अपना जीवन चलाना पड़ता है, उन्हें निश्चित रूप से अपने अन्याय की भावनाओं को शांत करने के लिए ऐसे मुआवजे की आवश्यकता होती है। और उन्हें घर चलाने में आने वाले कठिन दिनों से निपटने में मदद करें और अपने बच्चों और बूढ़े माता-पिता, आश्रितों के पालन-पोषण के लिए धन की आवश्यकता है जिन्हें अपने भरण-पोषण के साथ-साथ खराब स्वास्थ्य की देखभाल के लिए भी धन की आवश्यकता है। अतः यह न्यायालय अमरजीत सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ, मनजिंदर सिंह बनाम भारत संघ, सुदेश कुमारी बनाम भारत संघ, राज कुमार बनाम भारत संघ, सहजादी खातून एवं अन्य बनाम भारत संघ (उपरोक्त) में इस न्यायालय के पूर्व के विचारों को ध्यान में रखते हुए यह महसूस करता है कि न्यायालयों को ऐसे तकनीकी मुद्दों का शिकार नहीं होना चाहिए और यह कानून और उसके मूल उद्देश्य को आगे बढ़ाने में होगा, यदि न्यायालय वर्तमान याचिकाओं को स्वीकार करता है और संबंधित बैंकों को निर्देश देता है कि वे समयावधि में उस पर जमा हुई राशि को ब्याज सहित तुरंत वैध दावेदारों को जारी करें। नियमों के अनुसार उचित पहचान होने पर पुरस्कार राशि में

उनके हिस्से के अनुसार सभी पुनरीक्षण याचिकाएं तदनुसार स्वीकार की जाती हैं।”

6. दिनांक 08.04.2021 के उक्त आदेश से आहत होकर, रेलवे ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, जो एसएलपी (सी) सं.20206-20221/2021 के तहत प्रस्तुत की गई थी, जिसे सुनवाई के बाद दिनांक 04.01.2022 को खारिज कर दिया गया।

7. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता यह दलील देते हैं कि नाबालिगों के लिए रखी गई सावधि जमा राशि (5,00,000 रुपये) को छुए बिना, अन्य राशि अर्थात् अपीलकर्ता सं. 1 को 1,50,000 रुपये, अपीलकर्ता सं. 2 और 3 को 75,000 रुपये प्रत्येक को तत्काल जारी की जाए।

8. दूसरी ओर, रेलवे ने गीता देवी बनाम भारत संघ (2019) एससीसी ऑनलाइन दिल्ली 11279 में दिनांक 06.11.2019 को दिए गए दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को अभिलेख में पेश किया है ताकि यह दर्शाया जा सके कि 'विद्वान न्यायाधिकरण' द्वारा लिया गया निर्णय पूरी तरह से न्यायोचित है और उनके पास किशतों में भुगतान की अनुमति देने वाला आदेश पारित करने का अधिकार है।

9. न्यायालय के सुविचारित मतानुसार, एक बार जब पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08-04-2021 को पारित आदेश पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुहर लगा दी गई है, जैसा कि ऊपर कहा गया है, तो यह उचित होगा कि अपीलकर्ता सं. 1, 2 और 3 को दी गई राशि किशतों में भुगतान करने के बजाय तुरंत जारी कर दी जाए।

10. दिनांक 13.03.2020 के आदेश को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि अपीलकर्ता सं. 1, 2 और 3 को क्रमशः 1,50,000/- और 75,000/- रुपये की राशि

60 दिनों की अवधि के भीतर सीधे उनके संबंधित बैंक खातों में आर.टी.जी.एस. प्रक्रिया के माध्यम से जारी की जाए।

11. आज तक उन्हें भुगतान की गई कोई भी राशि उपर्युक्त पुरस्कार राशि से काट ली जाएगी।

12. उपरोक्त टिप्पणी के साथ, एम.ए. सं 248/2021 का निस्तारण किया जाता है।

(राजीव रॉय, न्यायमूर्ति)

प्रकाश नारायण/अजय

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।